पत्रांकः जी.एस.टी./2021-22/ फाइल सं0-509/ 64 /वाणिज्य कर

कार्यालय- कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

(जी.एस.टी. अनुभाग)

लखनऊः दिनांकः 04 जून, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 168 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 45 के उप नियम (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कमिश्नर , अधिसूचना संख्या- जी.एस.टी./2020-21/फाईल सं0-509/61/ वाणिज्य कर दिनांक 12 मई, 2021, में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पहले अनुच्छेद में "मई 2021 के 31वें दिन" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "जून 2021 के 30वें दिन" शब्दों, अक्षरों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 31 मई 2021 से प्रवृत हुई मानी जाएगी ।

आज्ञा से,

4/6/2021

(मिनिस्ती एस.)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

नोटः मूल अधिसूचना अधिसूचना संख्या- जी.एस.टी./2020-21/फाईल सं0-509/61/ वाणिज्य कर दिनांक 12 मई, 2021 द्वारा अंतिम संशोधित की गयी।